न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	आदेश तिथि
02/2016	प्रा.पत्र 251-A RTA	28.01.2016	26.11.2024

दुर्गादेवी पत्नी रामगोपाल चोटिया जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड सं. 42 प्रतिभानगर चूरू राज. जरिये मुख्तयार आम सुरेन्द्र कुमार पुत्र विषम्भर लाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 42 चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. श्रतनी पत्नी स्व. हनुमान जाति कुम्हार निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती, चूरू
2. श्रवण पुत्र स्व.स्व. हनुमान जाति कुम्हार निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती, चूरू
3. इश्वर पुत्र स्व. हनुमान जाति कुम्हार निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती, चूरू
4. बिरजू पुत्र स्व. हनुमान जाति कुम्हार निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती, चूरू
5. पप्पु पुत्र स्व. हनुमान जाति कुम्हार निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती, चूरू
6. हनुमान पुत्र स्व. हनुमान जाति कुम्हार निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती, चूरू
7. स्व. नागर पुत्र मोती जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
   7/1 गुलाब पुत्र स्व. नागर जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
   7/2 राजू पुत्र स्व. नागर जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
   7/3 शान्ति पुत्री स्व. नागर जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
   7/4 लक्ष्मी पुत्री स्व. नागर जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
   7/5 सरस्वती पुत्री स्व. नागर जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
   7/6 शारदा पुत्री स्व. नागर जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
8. मदन पुत्र स्व. मोहनलाल प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
9. राजु पुत्र स्व. मोहनलाल जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
10. मोहनी उर्फ नर्मदा देवी पत्नी स्व. मोहनलाल जाति प्रजापत निवासी चांदनी चौक भार्गव बस्ती चूरू
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित अप्रार्थी सं. 3 से 9अनु.।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 326, 353, 355 रोही कडवासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है।

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड [illegible] 2 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में मोहन नागर पि. मोती हि. 1/2 रतनी पत्नी [illegible] ण, ईशर, बिरजू, पप्पु पि. हनुमान ब.हि. ब. 1/4 हि. कौम कुम्हार सा. [illegible] 1/4 हि. जाति ब्राह्मण सा. वार्ड नं. 42 प्रतिभा नगर [illegible] ली आ रही है। प्रार्थी [illegible] जरिये बैनामा दिनांक 19.08.2015 वादगत् कृषि भूमि में से 1 [illegible] हिस्से की कृषि भूमि [illegible] रूप से पूर्व खातेदारान मोहनी बेवा श्रीराम, पार्वती पुत्री श्रीराम से खरीद की थी। प्रार्थिनी का वादगत कृषि भूमि पर खरीद के समय से संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:30 IST
Reason: SelfAttested

3. यहक प्रार्थनी से पूर्व खातेदार एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता वादगत ने वादगत कृषि भूमियो को नजरी नक्शा ए के मुताबिक पुराने समय से ही बाट रखा था और अक्चर ए के मुताबिक ही पूर्व खातेदार का कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थीनी को पूर्व काश्तकार मोहनी आदि के द्वारा अनेक्चर ए के मुताबिक कब्जा उक्त कृषि भूमि को खरीद की दिनांक को ही दे दिया था। वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 326 के दक्षिण साईड से सड़क पक्की बनी हुई है। जिसमे से फंटकर एक 20 फुट का रास्ता मुताबिक अनेक्चर ए प्रार्थीनी के खेत में जाता है। जो नजरी नक्शा के मुताबिक है। उक्त रास्ता से प्रार्थीनी से पूर्व खातेदार पैदल, ऊंटगाड़ा, ट्रेक्टर ट्रोली, जीप पिक--अप एवं अन्य साधनों से आवागमन करती चली आ रही थीं। जो कास्त के समय इसी रास्ते से ट्रेक्टर ले जाकर अपनी कृषि भूमि की जुताई करवाती थी। इसी रास्ते से पूर्व खातेदारान मोहनी आदि आवागमन करते रहे है तथा खेत कास्त करने के पश्चात अपने पशु धन के जरिये इसी रास्ता से आवागमन करती चली आ रही थी तथा समय समय पर प्रार्थीनी से रास्ता से ट्रेक्टर, ट्रोली, जीप, पिक--अप एवं अन्य साधनों से अपने अपने पशुओं के लिए हरा चारा एवं अन्य सामान लाते ले जाते थे तथा खेत में से अनाज निकाल कर इसी रास्ते से लाते थे। उक्त रास्ता से प्रार्थीनी से पूर्व खातेदार आवागमन करने के कारण मौके पर उक्त रास्ता सदामत से कायम चला आ रहा है, जो वर्तमान में 20 फुट चोड़ा चला आ रहा है। नजरी नक्शा में अंकित रास्ते से आवागमन चला आ रहा है, कभी कोई व्यवधान नहीं रहा है। प्रार्थीनी भी खरीद के समय से उक्त रास्ता से ही आवागमन करती चली आ रही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीनी के खेत में जाने का आवागमन का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं, यही एक मात्र रास्ता है। नजरी नक्शा अनेक्चर 'ए" जो लाल स्याही से अंकित है, प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे।

4. यहकि अप्रार्थीगण बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति है, जो उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 10 प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करने लगे हैं तथा उक्त रास्ते से आवागमन को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 व 10 आवागमन में अवरोध पैदा करने के लिए रास्ते से आवागमन करते समय बेवजह ही प्रार्थीनी को परेशान करते हैं तथा उक्त रास्ते से आवागमन करने से प्रार्थीनी एवं उसके वारिसान को टोकते हैं। उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजुद ही नही है. वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता लघुतम है। दिनांक 22.01.2016 को 1ता 6ने अनेक्चर एमें अंकित रास्ते पर कटीले तार लगाकर रास्ते को रोका है। प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 23.01.2016 को कहा एव कहलवाया कि यो तार हटा देवे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करवा लेवें लेकिन थी इंकार दिनांक 23.01. 2010 को इंकार हो गये। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीनी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करवाने हेतु श्रीमानजी के समक्ष चाराजोई करे।

5. यहकि प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो अनेक्चर "ए में अंकित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती करा देवें और खसरा नम्बर 326 की भूमि में से अनेक्चर ""ए" के मुताबिक रास्ता कटवा देवें मगर अप्रार्थीगण टालमटोल करते चले आ रहे [illegible] को रिकॉर्ड दुरूस्ती करने से, रास्ता कायम करवाने से इन्कार कर दिया है इस [illegible] 23.01.2016 को प्रार्थना पत्र हैतुक पैदा हुआ है। प्रार्थीनी वादगत कृषि [illegible] के कारण प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:30 IST
Reason: SelfAttested

6. यहकि वादगत रास्ता का तमाम [illegible]स्व अभिलेख राजस्थान सरकार के लिए तहसीलदार महोदय के पावर व पजेशन में है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में स्वीकार

A4

के अनुसार प्रविष्टियां भी तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी है। इसलिए प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 11 बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार के हितो के प्रतिकुल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी के नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहकि विवादित रास्ता कडवासर तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार का है तथा निर्धारित न्याय शुल्क 2 रूपये पर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 326 नजरी नक्शा अनेक्चर "ए" के अनुसार कटाणी रास्ता, नया रास्ता कायम किया जावे तथा तहसीलदार महोदय चूरू को आदेशित किया जावे कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा राजस्व नक्शा में रास्ता तरमीम किया जावे। श्रीमान जी की बड़ी कृपा होगी

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 ,10 पर विधिवत तामील होने बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2,7,8,9 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2,7,8,9 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है।

प्रार्थीगण की ओर से जबाब नीचे लिखे अनुसार पेश है :-- यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 1 जिस तरह से अंकित की गई है सही नहीं है अस्वीकार की जाती है सही तथ्य यह है कि प्रार्थीनी उक्त रकबा की स्ट्रेजर परश्न है प्रार्थीनी का कभी भी कब्जा वादगत रकबा पर नहीं रहा है इस कारण बारा 251 र आर.टी. एक्ट का प्रार्थनापत्र लाने की अधिकारी ही प्रार्थीनी को नही है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद से. 2 जिस ढंग से लिखी गई है सही नहीं होने से अस्वीकार है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त रकबा में से वादिनी ने पूर्व बातेदार मोहनी व पावर्ती से बिला कब्जा बैनामा करवाया होने से वादिनी प्रार्थीनी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।
यह कि प्रार्थनापत्र की मद से 3 जिस ढंग से अंकित की है जो गलत होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थनापत्र की गलत सत्य मनगढन्त मात्र अपने प्रार्थना पत्र का आधार बनाने की नियत से अंकित करने के कारण अस्वीकार की जाती है। जबकि सही तथ्य यह है कि उक्त रकबा अप्रार्थीगण की अविभाजित काश्त है जिसमें प्रार्थीनी को कोई हक प्राप्त नहीं होते है इस कारण भी प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद में 5 गलत अंकित की होन से अस्वीकार है अविभाजित रकबा होने वागन का कब्जा काइत क नं. 326,353,355 पर होने के प्रार्थीनी को कोई वायहेतुक पैदा नहीं हुआ ना ही बिला कब्जा होने से वावाधार प्राप्त है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद है. जिस ढंग से निधी गई है अस्वीकार है। प्रार्थीनी स्टेन्जर परसन व रात्ता कटानी की मो[illegible] कब्जा के मुताबिक कानून नहीं होने से वेजा है मियाद व क्षेत्राधिकार अदालतवाला[illegible]नी [illegible]य साबित करावें

यह कि अनुतोष्ड्य तम[illegible]किए जाते हैं।

यह कि वादिनी प्रार्थ[illegible]त रकबा पर नहीं है ना ही कभी काश्त रही है व गलत रूप से अविभक्त काश्त का [illegible] कब्जा बैनामा की निरस्त की कार्यवाही जार्थीगन अलग से कर रहे है तथा उक्त रानगव की अविभक्त खातेदारी है का विभाजन करवाये

44

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:30 IST
Reason: SelfAttested

बगैर रास्ता की नीम कानूनन चल नहीं सकती ना ही प्रार्थनापत्र बगैर कब्जा काश्त करता है ना ही धारा 251 र में उक्त प्रार्थनापत्र का प्रार्थीनों को अधिकार है।

यह कि दावा/प्रार्थनापत्र में पूर्व मालिक को पक्षकार बनाए बगैरह व काश्त के विभाजन के बगैर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का रकबा जो बाड़बंदी मिला हुआ उक्त खसरा नम्बर का है जिसमें प्रार्थीनी को कोई हरु नही है।

अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। कृया होगी।

प्रतिवादी संख्या 7 के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विधिक वारिसान को अप्रार्थी संख्या 7/1 से 7/6 अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया तथा विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायाल में कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुसार वादी के कब्जाशुदा कृषि भूमि से निकटतम है, जो 88 फीट है। प्रतिवादियों ने बताया है कि हमारा खाता विभाजन नहीं हुआ है। न ही हमारे खेत ख.नं. 326 मे कोई कटानी रास्ता जाता है। मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी को फर्द मौका पढकर सुनाया गया तो प्रतिवादियों ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

उपरोक्त तथ्यों को देखने पर हमने पाया कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम कड़वासर खसरा नम्बर 326, 353, 355 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अनुसार

1. काश्तकार को किसी अन्य काश्तकार के जोत में होकर अन्य रास्ते तक जाने के लिए रास्ता दिये जाने बाबत्
2. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होनी चाहिए सुविधाजनक उपयोग के लिए न हो।
3. रास्ता बाबत विवाद की स्थिति हो।

की स्थिति में रास्ता अन्तर्गत अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत दिए जाने का प्रावधान है परन्तु उक्त वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है व अविभाजित भूमि होने से प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि स्पष्ट रुप से निर्धारित नहीं है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में रास्ते का प्रावधान विभाजन के दौरान किये जाने का प्रावधान या अन्य खातेदार की कृषि भूमि से होकर काश्तकार के खेत को रास्ते को जोड़ने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रावधान है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत कवर नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:20:30 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू